Title: Need to provide compensation to the victims of the EMU accident occured at Ghankor Railway Station, Uttar Pradesh.

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में पांच तारीख को एक रेल दुर्घटना हुई थी। ई.एम.यू. गाड़ी खुर्जा से चली। जब वह धनकोर रेलवे स्टेशन के आगे चली तो स्टेशन के ऊपर कुछ पत्थर पड़े हुए थे। जब स्टेशन से गाड़ी निकली तो उन पत्थरों से बहुत जबरदस्त चिंगारी निकली और धुंआ उठा। ड़ाईवर ने समझा कि आग लग गई। उसने मौके पर ही गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही पैसेंजर्स ने समझा कि आग लग गयी और इस अफरी-तफरी में वह गाड़ी से कूद गये। कूदने के पश्चात उधर से गोमती एक्सप्रैस आ रही थी जिसमें चार-पांच लोग घटनास्थल पर ही बुरी तरह से घायल हो गये। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो लोग मरे हैं, वे निर्दोष हैं। अगर कोई गलती हुई है तो वह ड़ाईवर से हुई है, रेलवे की हुई है। इसलिए उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जो मरे हैं, क्या वे निर्दोष हैं?

श्री अशोक प्रधान : वे बेगुनाह हैं। उनको दोषी क्यों बनाया जाये? मेरी उनसे बात हुई थी। वे गाड़ी से कूदे, यह उनकी गलती है लेकिन वे कहते हैं कि ड़ाईवर ने धुंआ देखकर गाड़ी रोक दी जिससे उन्होंने समझा कि आग लग गयी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वे निर्दोष हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनको कम्पैनसेशन मिलना चाहिए तथा मृतकों के परिवार के जो आश्रित हैं, उनको नौकरी दी जाये। माननीय रेल राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वे इस विषय पर कुछ कहें।

श्री राम नाईकः उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा एक्सीडैंट है, जिसको विचित्र एक्सीडैंट कह सकते हैं क्योंकि उसके पहले कुछ ब्लास्ट नीचे गिराया गया था। उधर से दूसरी गाड़ी के आने से यह एक्सीडैंट हुआ है। माननीय सदस्य ने यहां पर जो बात रखी है, वह मौटे तौर पर सही है इसलिए मृतकों के परिवार वालों को किस प्रकार से हम सहायता दे सकते हैं, उस पर हम जरूर विचार करेंगे।